



सं० सं०-05/प्रशि० (शिक्षु)-01-2023 1566

झारखण्ड सरकार

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण झारखण्ड राँची।

प्रेषक:-

निदेशक

-सह- राज्य शिक्षुता सलाहकार (SAA)
नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

1. निदेशक

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
झारखण्ड, राँची।

2. The Vice Chancellors

All Universities of Jharkhand State

राँची, दिनांक 5/10/23

विषय:-

Apprenticeship Portal पर छात्रों/छात्राओं का निबंधन कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि "Apprenticeship Act 1961" के अंतर्गत राज्य के निबंधित (MSME/Manufacturing Sector/Service Sector / एवं अन्य सभी प्रकार के प्रतिष्ठान / उपक्रम यथा-होटल / रेस्टोरेंट / शॉपिंग मॉल/ हॉस्पिटल / कोचिंग सेन्टर / ऑथोराइज्ड सर्विस सेन्टर / बैंक इत्यादि द्वारा तकनीकी प्रशिक्षणार्थियों (आई० टी० आई०/ डिप्लोमा / इंजीनियरिंग / Short term Skill etc) एवं गैर तकनीकी छात्रों (5 वी से स्नातक आदि) को Designated / Optional व्यवसायों में प्रशिक्षण कराया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को प्रति माह 5000-9000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, तथा सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है, जो भविष्य में सफल कैरियर हेतु सहायक होते हैं।

सचिव (श्रम) के निदेशानुसार योजना का लाभ विश्वविद्यालयों/तकनीकी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों/छात्राओं तक पहुँचाने के लिए छात्रों का निबंधन Apprenticeship Portal- <https://www.apprenticeshipindia.gov.in/> पर कराया जाना आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षणरत छात्रों/छात्राओं का निबंधन Apprenticeship Portal पर कराना सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय, ताकि इस योजना का लाभ छात्रों/छात्राओं तक पहुँचाया जा सके।

अनुलग्नक:- Registration Manual

विश्वासभाजन

निदेशक

-सह- राज्य शिक्षुता सलाहकार (SAA)
नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:- 05/प्रशि0 (शिक्षु)-01-2023 1566

राँची, दिनांक 5/10/23

प्रतिलिपि:-सभी जिला नियोजन पदाधिकारी -सह- सहायक शिक्षु सलाहकार (AAA) झारखण्ड/सभी सहायक निदेशक प्रशिक्षण (शिक्षु0) जमशेदपुर/राँची/दुमका एवं आदित्यपुर, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि अपने जिले में अवस्थित यूनिवर्सिटी/तकनीकी कॉलेजों के कुलपति/प्राचार्यों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर छात्रों का निबंधन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

निदेशक

-सह- राज्य शिक्षुता सलाहकार (SAA)
नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:- 05/प्रशि0 (शिक्षु)-01-2023 1566

राँची, दिनांक 5/10/23

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय निदेशक, RDSDE झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक

-सह- राज्य शिक्षुता सलाहकार (SAA)
नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:- 05/प्रशि0 (शिक्षु)-01-2023 1566

राँची, दिनांक 5/10/23

प्रतिलिपि :-सचिव (श्रम) के प्रधान आप्त सचिव, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

-सह- राज्य शिक्षुता सलाहकार (SAA)
नियोजन एवं प्रशिक्षण
झारखण्ड, राँची।